उत्तर प्रदेश सरकार
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगाकाम्पलेक्स, 19–सी,विधानसभा मार्ग,
लखनऊ,उत्तर प्रदेश–226001

सूचना / विज्ञप्ति

आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 में रिट याचिका संख्याः 3285 / 2016 मनोज कुमार व अन्य एवं सम्बद्ध रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक–05–09–2017 व रिट याचिका संख्या–3417 / 2016 उपेन्द्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2018 तथा अन्य सम्बन्धित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में।

संख्याः पीआरपबी–अनु–6–प–2 / 15 दिनांकः अगस्त 13 ,2018

सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परीक्षा का चयन परिणाम बोर्ड की सूचना / विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी–अनु–6–प–06 / 2015 दिनांकित 16–07–2015 द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें क्षैतिज आरक्षण के बिन्दु पर **रिट याचिका संख्याः 3285 / 2016 मनोज कुमार व अन्य एवं सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक–05–09–2017** व **रिट याचिका संख्या–3417 / 2016 उपेन्द्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद** द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–05–2018 के अनुपालन में कुल 8678 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु बुलाया जा रहा है। इस प्रकिया में **उन अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जा रहा है जिनका पूर्व में दस्तवेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण हो चुका है।**

2– **रिट याचिका संख्याः 3285 / 2016 मनोज कुमार व अन्य एवं समबद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक–05–09–2017 व रिट याचिका संख्या–3417 / 2016 उपेन्द्र अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांक 04.05.2018 तथा अन्य सम्बन्धित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के** अनुपालन में चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा हेतु अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 3837, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 3562, अनुसूचित जाति श्रेणी में 1180 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 99 अर्थात कुल 8678 अभ्यर्थी बुलाये गये हैं। इन सभी श्रेणी की कट ऑफ पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी दस्तावेजों की संवीक्षा व चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाये गये हैं। इनमें 01 भूतपूर्व सैनिक, 119 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं 3123 महिला अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। श्रेणीवार सूची बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है।

3– आरक्षण के सुसंगत प्राविधानों के अधीन दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा हेतु अन्तिम बुलाये गये अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार हैः–

लम्बवत श्रेणी	पुरूष	भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	महिला (केवल पुलिस आरक्षी के लिए)
अनारक्षित (सामान्य)	313.616	169.7867	167.2336	165.957
अन्य पिछड़ा वर्ग	303.4033	—	—	—
अनुसूचित जाति	280.4246	—	—	—
अनुसूचित जनजाति	238.2972	—	—	—

4— यद्यपि इस परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

5— बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना/विज्ञप्ति संख्या पीआरपीबी—एक—1(28)/2013 दिनांकित— 14—05—2013 एवं दिनांकितः 20—06—2013 में दी गयी प्रकिया के अनुरूप दस्तावेजों की संवीक्षा चिकित्सा परीक्षा प्रदेश के **08 जनपदों (इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी)** में 28—08—2018 से प्रारम्भ होगी।

6— दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को पोस्ट आफिस के माध्यम से प्रवेश पत्र भेजे जा रहे हैं। ये प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर भी दिनांक 18—08—2018 से उपलब्ध होंगे। जिन अभ्यर्थियों को किन्हीं कारणों से पोस्ट आफिस के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, वे उसे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

7— अतः बुलाये गये अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा हेतु अपने प्रवेश पत्र के साथ नियत तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सामान्यतया नियत तिथि को अनुपस्थित होने पर उन्हें पुनः कोई अन्य अवसर नहीं मिलेगा।

8— दस्तावेजों की संवीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अंकित अपनी पात्रता आरक्षण, अधिमानी अर्हता आदि प्रविष्टियों के मिलान हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र एवं जमा करने के लिए इन प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक—एक छायाप्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के सभी सुसंगत अभिलेखों की मूल रूप में जॉच उसी दिन की जायेगी जिस दिन उसे चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया गया है। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख ठीक पाये जायेंगे, वे ही चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

9— चिकित्सा परीक्षा के समय प्रयोग हेतु अभ्यर्थी को अपना एक नवीनतम आवक्ष फोटोग्राफ (04 से0मी0x03 स0मी0) साथ लेकर आना अनिवार्य है।

10— चिकित्सा परीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित है। शारीरिक मानक परीक्षण एवं चिकित्सीय परीक्षण दोनों में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थी ही सम्पूर्ण परीक्षण में उपयुक्त होंगे। इनमें से किसी एक परीक्षण में अनुपयुक्त अभ्यर्थी सम्पूर्ण परीक्षण में अनुपयुक्त होंगे।

11– चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी है और श्रेष्ठता सूची पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें सफल होने का अर्थ यह न होगा कि अभ्यर्थी का चयन हो गया है। अभ्यर्थी का चयन अन्तिम श्रेष्ठता सूची पर ही निर्भर करेगा।

12– कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील दर्ज करा सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में ऐसी किसी अन्य अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। यदि अभ्यर्थी उसी दिन अपील दायर करता है तो अपीलीय चिकित्सा परिषद /मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपील के प्रकरणों का परीक्षण किया जायेगा।

13– यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

13.8.18

अपर सचिव, भर्ती/परीक्षा नियंत्रक,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।